



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2989]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941

No. 2989]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

का. आ. 3267(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (6) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1194 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 7 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“श्री राकेश सिन्हा

वर्तमान पता : एबी-98, शाहजहां रोड

नई दिल्ली – 110011

स्थायी पता : ग्राम – मनसेरपुर

डाकखाना: लखमिनिया, जिला-बेगूसराय

बिहार – 851211”

[फा. सं. एम-22011/5/2017-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1194 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th September, 2019

S.O. 3267(E).—In pursuance of the provisions of sub-sections (3) and (5) of section 5 read with sub-sections (6) of section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Information and Broadcasting published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1194(E), dated the 16th March, 2018, namely:-

2. In the said notification, against serial number 7, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Shri Rakesh Sinha

Present Address: AB-98, Shahjahan Road

New Delhi - 110011.

Permanent Address: Village – Manserpur

P.O.: Lakhminia, Distt. – Begusarai,

Bihar - 851211.”

[F. No. M-22011/5/2017-Press]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1194(E), dated the 16th March, 2018.